न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 146/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
भंवरलाल पुत्र पुनाजी उम्र 43 वर्ष, जाति सीरवी, निवासी (एन.एच करणीमाता स्कूल के सामने) रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली।		1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला पाली। 2. श्री राजेन्द्र व्यास पुत्र गणपतलालजी, जाति ब्राहम्ण, निवासी लोढों का बास, रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 स्वंय उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26.04.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व विविध प्रकरण संख्या 13/2014 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2014 तथा न्यायालय जिला अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 02/2016 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 स्वंय उपस्थित आये। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि हल्का पटवारी रायपुर की रिर्पोट पर तहसीलदार रायपुर द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर मौजा रायपुर 1 के खसरा नंबर 756 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर करने के संबध में नोटिस जारी किया तथा पेशी दिनांक 10.09.2014 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 12.12.2014 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट पर बेदखली, जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया। अपीलांट की ग्राम रायपुर 1 में खसरा नंबर 744/13 की खातेदारी भूमि आई हुई है। उक्त भूमि के पास में वादग्रस्त भूमि आई हुई है। किन्तु अपीलांट का अपनी भूमि के अलावा अन्य किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तहसीलदार रायपुर से अपीलांट की खातेदार भूमि पर स्थित मकान की भूमि तथा अन्य पडौस की भूमि की पैमाईश सेटलमेंट विभाग के भू मापक व अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति में वादग्रस्त रास्ते की भूमि व अन्य भूमि से पैमाईश कराने हेतु निवेदन किया साथ ही उक्त पैमाईश का खर्चा अपीलाट स्वंय द्वारा वहन करने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार द्वारा अपीलांट का आश्वस्त किया कि उक्त भूमि की पैमाईश पुनः कराई जावेगी। किन्तु अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा इस बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया गया। नायब तहसीलदार रायपुर ने खसरा नंबर 757, 1272, 1273, 1274 क भूमि की पैमाईश अपीलांट को बिना तलब किये अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त एकतरफा रिर्पोट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 744/13 पर काबिज है। अपीलांट अपनी भूमि से अधिक भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। तहसीलदार रायपुर एवं हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट की खातेदारी आराजी की पेमाईश नहीं करवाई गई। केवल मात्र रास्ते की पैमाईश की रिर्पोट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड की जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा रायपुर 1 के खसरा नंबर 756 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार रायपुर की पत्रावली की आदेशिका पर अपीलांट भंवरलाल के हस्ताक्षर मौजूद है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को 91 के तहत होने वाली कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा उपरोक्त भूमि की पैमाईश की गई तब अपीलांट स्वंय मौके पर मौजूद था। नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 23.08.2016 की मौका रिर्पोट पर अपीलांट के हस्ताक्षर है, उसमें भी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी से अतिक्रमण हटाने हेतु सात–दस दिन की मोहलत मांगी गई थी। इसी प्रकार दिनांक 19.06.2018 द्वारा आर.आई व पटवारी की मौका रिर्पोट जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर भी है में स्पष्ट है कि खसरा नंबर 756 गै. मु. रास्ते पर अतिक्रमण है व रास्ता ख.स. 757 में से निकल रहा है जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की खातेदारी भूमि है। अपीलांट द्वारा गै.मु. रास्ते की आराजी को अवैध कब्जा करने से लोगो ने रेस्पोडेन्ट नंबर 02 की आराजी में नाजायज रूप से आना–जाना चालू कर दिया है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अपने खातेदारी अधिकारो से महरूम रहने व उसके उपयोग व उपभोग से वंचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों एवं मौका रिर्पोटो के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जो कि पूर्णतया विधिसम्मत हैं अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा रायपुर 1 के खसरा नंबर 756 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का रायपुर द्वारा तहसीलदार रायपुर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भंवरलाल पुत्र पूना जाति सीरवी द्वारा उपरोक्त भूमि पर मकान बनाकर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार रायपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 10.09.2014 की तारीख पेशी नियत की। जो कि अपीलांट की मां द्वारा तामिल प्राप्त हुए। उसके पश्चात दिनांक 12.12.2014 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया। तहसीलदार रायपुर की पत्रावली पर अपीलांट के स्वंय के हस्ताक्षर है। जिससे अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का बिन्दु गौण हो जाता है। अब जहां तक वादग्रस्त आराजी पर कब्जे का प्रश्न है तो इस संबध में उपखंड अधिकारी रायपुर के राजस्व वाद संख्या 16/2012 में पारित आदेश की पालना में गठित टीम द्वारा जो मौका रिर्पोट प्रस्तुत की गई, उक्त मौका रिर्पोट के पृष्ठ संख्या 02 की पंक्ति संख्या 4 में यह अंकन है कि "बिन्दु संख्या G से C के सामान्तर खसरा नंबर 756 गै.मु. रास्ता है, जहां पर खसरा नंबर 744 के खातेदारो के मकानात् बने हुए है।" इसके अतिरिक्त स्वंय अपीलांट भंवरलाल द्वारा वादग्रस्त आराजी से भौतिक कब्जा हटाने की रिर्पोट प्रस्तुत की है। एवं तहसीलदार रायपुर के आदेश क्रमांक/सम/1580–1586 दिनांक 09.08.2016 की पालना दिनांक 23.08.2016 को तैयार मौका रिर्पोट के अन्तर्गत अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटाने बाबत 7–10 दिन की मोहलत मांगी गई है। उक्त मौका रिर्पोट पर अपीलांट स्वंय के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त मौका रिर्पोट दिनांक 19.06.2018 के अन्तर्गत "अपीलांट का मकान स्वंय की खातेदारी एवं आंशिक रूप से खसरा नंबर 756 गै.मु. रास्ते में बना हुआ है" का अंकन है। उक्त समस्त रिर्पोटों से यह स्पष्ट है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। एवं जहा तक सेटलमेंट विभाग से पैमाईश करवाने का प्रश्न है तो तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.12.2014 के अन्तर्गत अपीलांट को अपनी भूमि की पैमाईश सेटलमेंट विभाग से करवाने बाबत स्वंय के स्तर पर स्वंय के खर्चे से सेटलमेंट विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु करने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु अपीलांट द्वारा पैमाईश बाबत कोई आवेदन अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि कि किस्म गै0मु0 रास्ता है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 13/2014 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2014 तथा न्यायालय जिला अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 02/2016 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली